

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0सं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III)

462

पटना, दिनांक- 07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत लक्ष्मण आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 66.34 लाख (छियासठ लाख चौतीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत लक्ष्मण आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 66.34 लाख (छियासठ लाख चौतीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	लक्ष्मण आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	खैरा	66.34	55

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक-18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

Neetu 04/01/25

5

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-27.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-08 टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या-ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-09/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 462 पटना, दिनांक- 07/01/25
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 462 पटना, दिनांक- 07/01/25
प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भुगर्भ), पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 462 पटना, दिनांक- 07/01/25
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

नृत्य जयंत

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं०सं०-ल०सि०मो०-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III)

463

पटना, दिनांक- 07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत महतो आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 86.45 लाख (छियासी लाख पैतालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत महतो आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 86.45 लाख (छियासी लाख पैतालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	महतो आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	सोनो	86.45	60

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक-18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

Neetu

7

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-27.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-08 टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या-ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-09/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

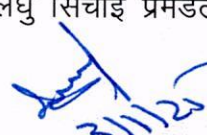

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 463 पटना, दिनांक- 07/01/25
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 463 पटना, दिनांक- 07/01/25
प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भुगर्भ), पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 463 पटना, दिनांक- 07/01/25
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव



बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0सं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III)

464

पटना, दिनांक-07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत जरवानारी आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 112.29 लाख (एक करोड़ बारह लाख उन्तीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत जरवानारी आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 112.29 लाख (एक करोड़ बारह लाख उन्तीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	जरवानारी आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	सोनो	112.29	70

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्ब्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक-18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

Neetu
प्रस्थ

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-27.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सि0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-08 टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या-ल0सि0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-09/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन


(संगिता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

464

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

464

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भुगर्भ), पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

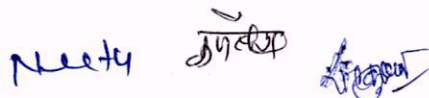
464

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव



बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0सं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III)

465

पटना, दिनांक-07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत ठाकुर आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 89.25 लाख (नवासी लाख पच्चीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत ठाकुर आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 89.25 लाख (नवासी लाख पच्चीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	ठाकुर आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	सोनो	89.25	60

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्ब्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक-18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

मेख

मेख

मेख

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-27.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-08 टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या-ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-09/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन


(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 465 पटना, दिनांक- 07/01/25
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 465 पटना, दिनांक- 07/01/25
प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भुगर्भ), पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 465 पटना, दिनांक- 07/01/25
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

नीति प्रत्यक्ष

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0सं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III)

466

पटना, दिनांक-07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत कपलो आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 78.07 लाख (अठहत्तर लाख सात हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत कपलो आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 78.07 लाख (अठहत्तर लाख सात हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	कपलो आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	खैरा	78.07	60

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक-18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

मेसर्स 4

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-27.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-08 टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या-ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-09/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन


(संगिता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 466 पटना, दिनांक- 07/01/25

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, जमुई /कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 466 पटना, दिनांक- 07/01/25

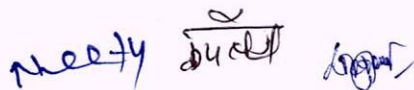
प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भुगर्भ), पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर /संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 466 पटना, दिनांक- 07/01/25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव



बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं०सं०-ल०सि०मो०-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III)

467

पटना, दिनांक-07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत देवपुर (पोखर) आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 150.06 लाख (एक करोड़ पचास लाख छः हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत देवपुर (पोखर) आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 150.06 लाख (एक करोड़ पचास लाख छः हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	देवपुर (पोखर) आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	खैरा	150.06	150

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्ध्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक-18.09.2008 एवं 3578/वि०, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

neety

अतिरिक्त

अतिरिक्त

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-27.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-08 टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या-ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-09/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन


(संगिता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 467

पटना, दिनांक- 07/01/25

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 467

पटना, दिनांक- 07/01/25

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भुगर्भ), पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 467

पटना, दिनांक- 07/01/25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव

नीति उपलब्ध जमुई

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0सं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III)

468

पटना, दिनांक-07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत नौवा आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 64.48 लाख (चौसठ लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत नौवा आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 64.48 लाख (चौसठ लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	नौवा आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	चकाई	64.48	40

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक-18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2008/4 34/29

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-27.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-08 टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या-ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-09/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

468

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

468

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भुगर्भ), पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

468

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

मेरी प्रतिलिपि

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III)

469

पटना, दिनांक-07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत काला आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 151.110 लाख (एक करोड़ इकावन लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

महाशय,

स्वीकृत ।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत काला आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 151.110 लाख (एक करोड़ इकावन लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	काला आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	लक्ष्मीपुर	151.110	140

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक-18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

प्रेषक

प्राप्त

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-27.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-08 टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या-ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-09/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, जमुई /कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भुगर्भ), पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर /संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

Neethy उपस्थित

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0सं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III)

470

पटना, दिनांक-07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत रतन आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रूपये 92.41 लाख (बानबे लाख इकतालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत रतन आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रूपये 92.41 लाख (बानबे लाख इकतालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	रतन आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	चकाई	92.41	70

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक-18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

मेरी

अपने

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-27.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सि0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-08 टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या-ल0सि0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-09/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

470

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

470

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भुगर्भ), पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

470

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

Neety 04/01/25

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III)

471

पटना, दिनांक-07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत सिनवेरिया आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 92.08 लाख (बानवे लाख आठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत सिनवेरिया आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 92.08 लाख (बानवे लाख आठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	सिनवेरिया आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	खैरा	92.08	60

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक-18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

मेरी प्रतिलिपि

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-27.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-08 टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या-ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-09.../टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन



(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 471 पटना, दिनांक- 07/01/25
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

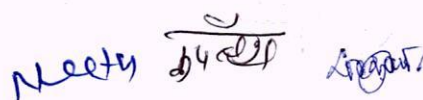
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 471 पटना, दिनांक- 07/01/25
प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भुगर्भ), पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 471 पटना, दिनांक- 07/01/25
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव



बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0सं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III)

472

पटना, दिनांक-07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत अम्बाटांड आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 106.58 लाख (एक करोड़ छः लाख अनठावन हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत अम्बाटांड आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 106.58 लाख (एक करोड़ छः लाख अनठावन हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	अम्बाटांड आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	चकाई	106.58	70

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्ब्य एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक-18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

↓

मेरी

मेरी

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-27.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सि0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-08 टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या-ल0सि0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-09/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

472

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

472

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भुगर्भ), पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

472

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

Neetu Singh

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III)

473

पटना, दिनांक-07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत बुधवाडीह (पश्चिमी) आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 82.33 लाख (बेरासी लाख तैतीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत बुधवाडीह (पश्चिमी) आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 82.33 लाख (बेरासी लाख तैतीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	बुधवाडीह (पश्चिमी) आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	चकाई	82.33	50

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्ब्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक-18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

Neetu

प्रमुख

4

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-27.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सि0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-08 टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या-ल0सि0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-09/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, जमुई /कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भुगर्भ), पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर /संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

Neety कपूर

सिंह

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III)

474

पटना, दिनांक-07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत घुठिया आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रूपये 131.96 लाख (एक करोड़ इकतीस लाख छियानवे हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत घुठिया आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रूपये 131.96 लाख (एक करोड़ इकतीस लाख छियानवे हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	घुठिया आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	चकाई	131.96	100

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक-18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

Neelam 24/01/25

7

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-27.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-08 टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या-ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-09/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

474

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

474

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भुगर्भ), पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

474

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

Neethy 07/01/25

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III)

475

पटना, दिनांक-07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत पुराना आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 87.18 लाख (सतासी लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत पुराना आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 87.18 लाख (सतासी लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	पुराना आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	चकाई	87.18	60

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक-18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

Neety

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-27.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-08 टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या-ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-09/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भुगर्भ), पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

Neetu

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III)

476

पटना, दिनांक- 07/01/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत बरमसीया (चतरो) आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 102.89 लाख (एक करोड़ दो लाख नवासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत बरमसीया (चतरो) आहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 102.89 लाख (एक करोड़ दो लाख नवासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	बरमसीया (चतरो) आहर का जीर्णोद्धार कार्य	जमुई	खैरा	102.89	80

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक-18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

neetu

पुस्तक

h

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-27.12.2024 को संचिका संख्या- ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-08 टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या-ल0सिं0मो0-/HKKP/जमुई/2024-25/750/2024 (Part-III) के पृ0-09/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर होंगे ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

476

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

476

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भुगर्भ), पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

476

पटना, दिनांक-

07/01/25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

Neelky